न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3810/II/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 15–10–13 – पारित–अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर–प्रकरण कमांक 92/अ–6/2012–13 अपील

प्रताप नारायण पुत्र देवशॅकर राव
निवासी ग्राम टुरया तहसील
एंव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। ——आवेदक

विरूध्द

1 बड़ेभाई पुत्र मिजाजीलाल राव
ग्राम टुरया तहसील छतरपुर,म0प्र0

2– मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव

अनावेदक 2 शासन के पैनल अभिभाषक श्रीमती नीना पांडे

आदेश

(आज दिनांक 2–4– 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 92/अ–6/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–10–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने ग्राम टुरया स्थित भूमि सर्वे कमांक 291, 309 कुल रकबा 1.548 हैक्टर दीनदयाल पुत्र प्रागीलाल तथा आवेदक से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28–11–83 से कय की तथा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 09 /82–83 से उसका कय की गई भूमि में से दीनदयाल के नाम की भूमि पर नामान्तरण हो गया, किंतु आवेदक व्दारा विकीत की

गई भूमि नामान्तरण करना रह गया, तब अनावेदक कमांक–1 ने नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के समक्ष तदाशय का आवेदन दिया। नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर ने प्रकरण कमांक 01/अ-6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 8–2–13 से आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक–1 ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 92/अ–6/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–10–13 से विलम्ब क्षमा कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पक्षकारों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के प्रकरण कमांक 01/अ-6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 8–2–13 के विरूद्व अनावेदक क–1 ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26–4–13 को 76 दिवस के अंतर से प्रस्तुत की है, जबकि इस हेतु 30 दिवस की समय–सीमा है। नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के प्रकरण कमांक 1/अ–6/12–13 की आर्डरशीट दिनांक 8–2–13 के अवलोकन पर पाया गया कि यह आदेश अनावेदक के अभिभाषक को दिनांक 17–4–13 को टीप कराया गया है जिनके आर्डरशीट के हासिये में हस्ताक्षर हैं।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार तथा अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये कारण विश्वसनीय होने से अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 15.10.2013 से विलम्ब क्षमा किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 92/अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर